न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 574 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. भूपसिह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकसाई तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. प्रबन्धक एचडीएफसी बैक शाखा ऐलनाबाद

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 02/1/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 301/267 की कुल 9.5500हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या का 1/3 हिस्सा यानी 3.183हैक भूमि तथा रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 119/112 के कुल 3.7940हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 1.264हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वाद का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा /राजीनामा पेश किया जा चुका है।इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 301/267 की कुल किता 39 की 9.5500हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा यानी 3.183हैक भूमि में से 2.224हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार है तथा इस खाते की शेष 0.959हैक भूमि व रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 119/112 के कुल किता 17 की कुल 3.7940हैक भूमि में 1/3 हिस्सा यानी 1.264हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official